



कार्यालय, कृषि उपज मण्डी समिति इन्दौर, जिला इन्दौर.

लक्ष्मीबाई नगर, इन्दौर, दूरभाष क्रमांक 0731-2411223, 2412902
Fax No. :- 0731-2412040 & E-mail ID :- indoremandi@gmail.com

क्रमांक/मंडी/निर्माण/2018-19/782

इंदौर, दिनांक 31.05.2018

- निविदा आमंत्रण सूचना -

एतद् द्वारा कृषि उपज मंडी समिति, इंदौर के निम्नलिखित प्रांगणों में स्थित अनुपयोगी संरचनाएं जो जीर्णोद्धारण हालत में हैं, के विनिष्ठीकरण (डिस्मन्टलिंग) हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/ संस्था/ ठेकेदारों से मोहरबंद निविदाएं जो कि, आफसेट वेल्यू से अधिक हो, पर दिनांक 19.06.2018 को सायं 5:30 बजे तक सिर्फ पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा आमंत्रित की जाती है। जिन्हे दिनांक 20.06.2018 को अपरान्ह 03:00 बजे उपस्थित निविदाकार या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष कृषि उपज मण्डी समिति, लक्ष्मीबाई नगर, इंदौर कार्यालय में खोली जावेगी।

अ0क्र0	संरचनाओं का नाम व स्थल	भवन की आफसेट कीमत राशि रूपये	धरोहर राशि रूपये	निविदा प्रपत्र का शुल्क राशि रूपये	कार्य पूर्ण करने की अवधि
01	निर्मित कार्यालय (पुराना होटल) को डिस्मन्टल कर उसके मलबे को ले जाना एवं स्थल समतल कर मंडी को सौंपना संयोगितागंज उपमंडी प्रांगण इंदौर।	2,79,918.00	5,600.00	2000.00	2 माह
02	06 नग सेण्ट्रीशॉप्स को डिस्मन्टल कर उसके मलबे को ले जाना एवं स्थल समतल कर मंडी को सौंपना लक्ष्मीबाई नगर मुख्यमंडी प्रांगण इंदौर।	23,832.00	500.00	1000.00	1 माह
03	आलू प्याज सेक्टर में स्थित कवर्ड शेड को डिस्मन्टल कर उसके मलबे को ले जाना एवं स्थल समतल कर मंडी को सौंपना देवी अहिल्याबाई होलकर फल सब्जी मंडी प्रांगण इंदौर।	2,68,667.00	5,400.00	2000.00	2 माह

शर्त :-

01. निविदा प्रपत्र एवं कार्य से सम्बन्धित अन्य जानकारी मंडी बोर्ड की वेबसाईट www.mpmmandiboard.gov.in एवं कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति लक्ष्मीबाई नगर इन्दौर से दिनांक 12.06.2018 को कार्यालयीन समय तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
02. धरोहर राशि तथा निविदा मंडी बोर्ड की वेबसाईट से डाऊनलोड करन की स्थिति में निर्धारित निविदा प्रपत्र के शुल्क की एफ.डी.आर.जो कि छः माह से कम अवधि की न हो/ डिमाण्ड ड्राफ्ट पृथक-पृथक जो सचिव कृषि उपज मंडी समिति इन्दौर के नाम से देय हो, निविदा प्रपत्र के साथ पृथक लिफाफे में सील बंद कर प्रस्तुत करना होगी। धरोहर राशि एवं निविदा प्रपत्र शुल्क प्राप्त न होने पर निविदा प्रपत्र का लिफाफा नहीं खोला जावेगा।
03. अधिकतम प्राप्त निविदा दर की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त होने पर ही कार्यादेश जारी किया जावेगा।
04. उक्त जर्जर/जीर्णोद्धारण संरचनाओं का अवलोकन कार्यालय समय में किया जा सकता है।
05. सशर्त निविदा मान्य नहीं की जावेगी।

(सतीश पटेल)
सचिव,
मण्डी इंदौर

(आसाराम सिसोदिया)
अध्यक्ष,
मण्डी इंदौर